भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 839
जिसका उत्तर बुधवार 23 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

एम ए एम सी का अधिग्रहण

839. श्री तपन कुमार सेन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरीज कॉर्पोरेशन (एमएएमसी) का तीन कंपनियों के संघ अर्थात् बीईएमएल, सीआईएल और डीवीसी द्वारा परिशोधन करने के पश्चात् इसको अधिगृहीत कर लिया गया है और इसमें उत्पादन गतिविधियां पहले ही प्रारंभ हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और नई कंपनी द्वारा कौन-कौन से उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो कंपनी के परिसमापन के एक दशक से अधिक बीत जाने के बाद भी कोई पहल/कार्यकलाप आरंभ क्यों नहीं किया गया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): एमएएमसी मार्च/अप्रैल, 2005 से परिसमापनाधीन है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिसमापनाधीन एमएएमसी पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है तथा बीईएमएल, सीआईएल और डीवीसी भी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आते हैं।

(ख): उपर्युक्त पैरा (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में कहा गया है, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिसमापनाधीन एमएएमसी पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

******